ई.मेल / डाक
ELC-1

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.4(3)(3)SVEEP/Elec/ELC/2018/ 3344 जयपुर, दिनांकः 20/6/2018

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स), राजस्थान।

विषय : निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) स्थापित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 491/ECI/LET/SVEEP-I/EL/ELC/ 2017 दिनांक 3 नवम्बर, 2017 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 730 दिनांक 24 जनवरी, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्र क्रमांक 491/ECI/LET/SVEEP-I/EL/ELC/ 2017 दिनांक 3 नवम्बर, 2017 के माध्यम से देश भर में विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs- ELCs) गठित करने के निर्देश दिये हैं।

1. Electoral Literacy Club (ELCs) प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने वाले सक्षम केंद्रों के रूप में कार्यरत होंगे, जो मतदाता शिक्षा की प्रक्रिया को विकसित एवं मजबूत करते हुए निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे :–
   (i) मतदाता सहभागिता से संबंधित विभिन्न पहलुओं यथा मतदाता पंजीकरण आदि के बारे में शिक्षा प्रदान करेंगे।14 वर्ष / कक्षा 9वीं से ही बच्चों को मतदान प्रक्रिया संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करेंगे।
   (ii) 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले ELC सदस्यों को मतदाता बनने हेतु सहयोग व सूविधा प्राप्त की जाएगी।
   (iii) ELCs हेतु लक्षित वर्गों को मतदान के महत्त्व की जानकारी देंगे, जिससे वे बिना प्रलोभन के सोच–समझ कर मतदान करने में सक्षम बन सकें।
   (iv) समाज के विभिन्न वर्गों में मतदाता शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु ELCs के सदस्यों की सार्म्थय का उपयोग किया जा सकेगा।
   (v) EVM एवं VVPAT सम्बंधी जानकारी का प्रसार करेंगे।
   (vi) चुनाव प्रक्रिया संबंधी कानुनी पहलुओं, तकनीकि पहलुओं, मीडिया संबंधी पहलुओं एवं नवाचारों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

2. **जिला मतदाता शिक्षा कमेटी (District Committee on Electoral Literacy)**

Electoral Literacy Club (ELCs) स्थापित करने हेतु एक जिला मतदाता शिक्षा कमेटी (DCEL- District Committee on Electoral Literacy) का गठन किया जाएगा, जो जिले में

स्थापित होने वाले ELCs के संबंध में (1) Planning (2) Implementation (3) Monitoring एवं (4) Evaluation से संबंधित पहलुओं के संबंध में निर्णय लेगी। DCEL की प्रथम बैठक आयोजित कर जिले में ELCs शुरू करने हेतु Action Plan तैयार किया जाना है। DCEL द्वारा जिले में कार्यरत होने वाले ELCs में Coordination सुनिश्चित किया जाएगा।

DCEL के कार्यों का सम्पूर्ण ब्यौरा ELCs के संबंध में जारी संलग्न Project Document में पैरा संख्या 10 में दिया गया है।

2. विभिन्न स्तरों पर गठित किये जाने वाले इन सभी क्लबों का बनाने का मुख्य उद्देश्य भावी, नवीन, विद्यालय ड्राप ऑउटस्/वंचित वर्ग (जो कि समाज की मुख्यधारा में नहीं जुड़े हुये हैं) एवं सरकारी/निजी कार्यालयों से जुड़े मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण, चुनावी प्रक्रिया और इससे जुड़े विषयों यथा ईवीएम/वीपीपैट के बारे में जानकारी देना, वोट की कीमत बताना तथा समाज का ऐसा वर्ग जो 18+ आयु वर्ग से ऊपर है जो अब तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो को पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करना तथा उनमें ऐसी सोच व समझ विकसित करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़ें।

3. **विभिन्न स्तरों पर ELCs** के गठन हेतु भारत निर्वाचन आयोग की कार्य–योजना के अंतर्गत निम्न चार प्रकार के **ELCs** की स्थापित किए जाऐंगे।

3.1. भावी मतदाताओं के लिये साक्षरता क्लब (विद्यालय स्तर पर)–

भावी मतदाताओं के लिये विद्यालय स्तर पर साक्षरता क्लब (ELC for FutureVoters at School level) कक्षा 9 से 12 तक के 14 से 17 आयुवर्ग के विद्यार्थियों (भावी मतदाताओं) को सम्मिलित करते हुये चुनाव संबंधित जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उक्त **ELCs** के गठन हेतु संबंधित **EROs** अपने स्तर पर सर्वे करवाकर अधिक नामांकन वाले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा आस–पास के कम नामांकन वाले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस प्रकार के क्लब स्थापित करेंगे।

यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2017 से कक्षा 9 से 12 तक के 14 से 17 आयुवर्ग के विद्यार्थियों की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा "Interactive School Engagement" (ISE) कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। आयोग के नवीन निर्देशानुसार अब प्रत्येक वर्ष माह जुलाई एवं अक्टूबर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है तथा प्रत्येक 4 वर्षों में सभी विद्यालयों को कवर किया जाना है। अतः इस कार्य योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये विद्यालय क्लब आवंटन करने के लिये तत्काल उपलब्ध है।

3.2. नव पंजीकृत मतदाताओं का साक्षरता क्लब (महाविद्यालय स्तर पर)

मतदाता सूची में नव पंजीकृत मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर **(ELC of New Voters at College/Universities)** 18+ आयुवर्ग के नवीन मतदाताओं को निर्वाचन की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर इन क्लबों का गठन किया जाना है।

वर्तमान में उक्त आयु वर्ग को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु आयोग द्वारा महाविद्यालयों में "Brand Ambassador" नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं। इसके

अतिरिक्त विभाग द्वारा गत वर्ष व इस वर्ष में चलाये गये विभिन्न अभियानों में महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों का चयन कर मतदाता सूचियों में मतदाता पंजीकरण हेतु अभियान चलाये गये हैं।

3.3. **सामुदायिक साक्षरता क्लब (सामुदायिक स्तर पर चुनाव पाठशाला)** –

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर (ELC at Communities level) पर इस प्रकार के क्लब के गठन की स्थापना चुनाव पाठशाला के रूप में की जानी है। इसमें 18+ आयु वर्ग के विद्यालय से ड्राप ऑउट/वंचित वर्ग जो कि समाज की मुख्यधारा में नही जुड़े हुये हैं, को सक्रिय मतदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु इस क्लब का गठन ERO के सुपरविजन में BLO द्वारा पोलिंग स्टेशन स्तर पर किया जाना है। चुनाव पाठशाला में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत ऐजेन्सीज यथा NLM के प्रेरक, नेहरू युवा केन्द्र, NSS के कार्यकर्ता, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, पटवारी एवं स्वयं सहायता समुहों (SHGs) की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है।

3.4. **मतदाता जागरूकता मंच** – इस प्रकार के जागरूकता क्लबों **(Voter Awareness Forum)** का गठन सरकारी विभागों, गैर–सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट्स एवं अन्य संस्थाओं में किया जायेगा। इसका उद्देश्य वर्ष पर्यन्त निर्वाचन संबंधी गतिविधियॉ इस स्तर पर सम्पादित की जाती हैं। इस प्रकार के मंचों के गठन से सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के मतदाताओं को नियमित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ा जा सकेगा।

4. विभिन्न स्तरों पर ELCs के गठन एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न क्रियाकलाप संपन्न किये जा सकते हैं:–

4.1. **भावी मतदाताओं के लिये साक्षरता क्लब (विद्यालय स्तर पर)–**

4.1.1. प्रत्येक विद्यालय स्तर पर क्लब के गठन में संबंधित विद्यालय में एक या दो नोडल अधिकारी (बीएलओ) एवं एक Mentor की नियुक्ति की जानी है (इसके लिए मानविकी विषय के अध्यापकों, जो चुनाव में ड्यूटी का अनुभव रखते हों को प्राथमिकता देनी है)

4.1.2. **कार्यकारी समिति (Executive Committee)** – यह समिति क्लब के क्रियाकलाप सम्पन्न कराने में अपना योगदान देगी। उक्त समिति के सदस्य विद्यालय की प्रत्येक कक्षा से एक–एक विद्यार्थी लेकर नियुक्त किये जायेंगे। यह सदस्य निर्वाचन द्वारा अपने में से एक सदस्य को Chair एवं एक अन्य सदस्य को Vice Chair नियुक्त करेगी।

4.1.3 विद्यालय स्तर पर ELC के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए भावी मतदाता/ नवीन मतदाता के पंजीयन हेतु माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर प्रार्थना सभा में चुनाव संबंधित एक सैशन रखा जा सकता है जिसमें संबंधित विद्यालय के चुनाव कार्य की जानकारी रखने वाले अध्यापक मतदाता जागरूकता शिक्षा हेतु निर्धारित क्रियाकलापों की जानकारी देगें। बीएलओ/पर्यवेक्षक इसके नोडल अधिकारी होगें। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित करेगें।

4.1.4. प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में एक कालांश/बालसभा का आयोजन कर चुनाव संबंधित कार्य एवं इससे जुडी समस्त प्रक्रिया की जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए एकांकी नाटक/लोक नृत्य/परस्पर संवाद/वाद–विवाद/प्रेरणा दायक लघु कथाओं आदि द्वारा इसे रोचक बनाया जा सकता है ताकि क्लब के सदस्यों की क्लब में बने रहने की रूचि बने। विभाग स्तर पर आयोग द्वारा निम्न प्रकार से विषयक सामग्री उपलब्ध करवायी गई है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी संलग्न की जा रही है।

a.	ELC for Class IX	b.	ELC for Class X
c.	ELC for Class XI	d.	ELC for Class XII
e.	FAQ/Glossary		

4.1.5. विद्यालय स्तर पर प्रत्येक माह एक दिवस मतदाता जागरूकता शिक्षा के लिए निर्धारित कर इस दिवस को एक गतिविधि यथा प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि करवाई जा सकती है। इस संबंध मे विभाग द्वारा उक्त सामग्री साफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।

a.	"Belief in the Ballot"	b.	Cartoon Books
			i. Wah Election Wah
			ii. Abhay Abha Picture Book
			iii "Sentinels of Democracy"
c.	Voter's Guide	d.	NOTA Flash Cards
e.	Charactar Cards for step-up Game	f.	Ballot Papers for Model Matdan Activity

4.2. नव पंजीकृत मतदाताओं का साक्षरता क्लब (महाविद्यालय स्तर पर)

4.2.1. प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर क्लब के गठन में संबंधित विद्यालय में एक या दो नोडल अधिकारी (व्याख्याता) एवं Mentor की नियुक्ति की जानी है एवं Convener के रूप में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के विशेष योग्यता रखने वाले छात्र–छात्राओं को Campus Ambassador के रूप में नियुक्त किया जाये। (नोडल अधिकारी के लिए मानविकी विषय के अध्यापकों, जो चुनाव में ड्यूटी का अनुभव रखते हों को प्राथमिकता देनी है)

4.2.2. **कार्यकारी समिति (Executive Committee)** – यह समिति क्लब के क्रियाकलाप सम्पन्न कराने में अपना योगदान देगी। उक्त समिति के सदस्य महाविद्यालय की प्रत्येक कक्षा से एक–एक विद्यार्थी लेकर नियुक्त किये जायेंगे। यह सदस्य निर्वाचन द्वारा अपने में से एक सदस्य को Chair एवं एक अन्य सदस्य को Vice Chair नियुक्त करेगी।

4.2.3. प्रत्येक शनिवार को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में एक कालांश का आयोजन कर चुनाव संबंधित कार्य एवं इससे जुडी समस्त प्रक्रिया की जानकारी दी जा

सकती है। इसके लिए एकांकी नाटक/लोक नृत्य/परस्पर संवाद/वाद-विवाद/प्रेरणा दायक लघु कथाओं आदि द्वारा इसे रोचक बनाया जा सकता है ताकि क्लब के सदस्यों की क्लब में बने रहने की रूचि बने। जिसकी सामग्री की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई जायेगी।

4.3. सामुदायिक साक्षरता क्लब (सामुदायिक स्तर पर चुनाव पाठशाला)

4.3.1. बी.एल.ओ चुनाव पाठशाला का नोडल ऑफीसर होगा। बी.एल.ओ. ई.एल.सी के लिये एक व्यक्ति को उसके सदस्यों में से संयोजक (कन्वीनर) नियुक्त करेगा जो कि शिक्षित व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति अध्यापक/साक्षरता प्रेरक या एन.एस.एस/एन.वाई.के.एस के एन.जी.ओ. में से भी हो सकता है। कन्वीनर को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। बी.एल.ओ स्वयं भी कन्वीनर का कार्य कर सकेगा। कन्वीनर का नाम मतदाता प्रशिक्षक होगा यह मतदाता प्रशिक्षक समस्त चुनाव गतिविधियों का अध्ययन कर उनको कुशलतापूर्वक प्रभावी तरीके से लागू करवायेगा। यह मतदाता प्रशिक्षक बी.एल.ओ. की मदद से चुनाव पाठशाला से सम्बन्धित समस्त समस्याओं के निराकरण करने के लिये उत्तरदायी होगा एवं उनका फीडबैक भी लेगा। मतदाता प्रशिक्षक को नाम पंजीकरण एवं निर्वाचन नामावली व चुनाव प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी होना आवश्यक हैं। चुनाव पाठशाला के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव करना बी.एल.ओ. की जिम्मेदारी होगी यह स्थान विद्यालय भवन आंगनबाड़ी केन्द्र या अन्य कोई उपयुक्त खाली स्थल हो सकता हैं जहां आमजन की पहुंच आसान हो तथा उक्त स्थान सर्वपरिचित स्थल हो।

4.3.2. चुनाव पाठशाला के सत्र हमेशा एक गीत से शुरू हो एवं समापन एक प्रेरणा दायक छोटी कहानी से हो। इसमे भारत चुनाव आयोग के पोस्टरों और फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा सकता है।

4.3.3. चुनावी पाठशाला का मुख्य उद्‌देश्य ड्रॉपआउट्स, घूमन्तु जातियों, वंचित नागरिकों आदि को चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना है। इसके माध्यम से क्लब के सदस्य ये जान सकेंगे कि मतदाता सूची क्या है, बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के क्या कार्य है तथा मतदाता के पंजीकरण का क्या महत्त्व होता है। इसके लिए संयोजक अथवा बीएलओ द्वारा एक डमी मतदाता सूची तैयार कर उक्त प्रक्रिया समझाई जा सकती है। चुनाव पाठशाला सक्रिय/जागरूक नागरिकों को मतदाता मित्र की भूमिका निभाने का एक अनुपम मौका देगी। मतदाता मित्र यानी एक ऐसा मित्र जो समुदाय के सदस्यों को चुनावी प्रक्रिया के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देगा और उन्हें नामांकन करने और मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मतदाता मित्र को डीईओ द्वारा चिन्हित किया जाकर इन्हें प्रति वर्ष एनवीडी कार्यक्रम में इनका अभिनन्दन करवाया जायेगा।

4.3.4. विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से भी चुनाव पाठशाला के उद्‌देश्य को रूचिकर बनाकर क्लब के सदस्यो के साथ साझा किया जा सकता है। खेल गतिविधियों के बारे में विस्तृत विवरण भारत निर्वाचन आयोग की संदर्भ मार्गदर्शिका "चुनाव पाठशाला" में दिया गया है। (सॉफ्ट कॉपी संलग्न है)।

इसके आलवा स्थानीय खेल यथा सतोलिया, कब्बडी, खो–खो, कुर्सी दौड़ इत्यादि के माध्यम से इसे और रूचिकर बनाया जा सकता है। ये प्रतियोगितायें ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर आयोजित करवाई जा सकती है। खेल– खेल में क्लब के सदस्यो में टीम भावना तो आती है साथ ही टीम की तरह कार्य करने से इसका व्यापक प्रभाव भी पडता है।

4.3.5. चुनाव पाठशाला दो माह में एक बार आयोजित की जायेगी एवं प्रथम शनिवार को एकान्तरे माह को 2.00 से 4.00 बजे आयोजित की जायेगी या अन्य कोई उपयुक्त समय निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि को पूर्व में अधिसूचित गतिविधि को पूर्ण करवाना तथा पाठशाला की दीवार मैग्जीन को भी अद्यतन किया जायेगा।

अधिसूचित गतिविधि निम्न प्रकार से होगीः–

अधिवेशन	गतिविधि
1	सूची की तैयारी
2	मॉडल मतदान
3	नॉमिनेशन के लिये कार्डगेम, ग्रामसभा,
4	सांपसीढी गेम / रंगोली आदि सामुदायिक गतिविधि
5	वर्णावली गतिविधि
6	नोटा को जाने, चुनाव यात्रा – बैलट पेपर बनाना
7	सामुदायिक गतिविधि, चुनाव यात्रा – ईवीएम. वीवीपेट वोटर प्रश्नोतरी
8	आओ पंजीकरण करें, खोजो तो जाने
9	चुनाव की कहानियां व गेम लूडो
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम :– गांव के हॉट में

4.3.8 चुनाव पाठशाला का गेम किट होगा जो कनवीनर को दिया जायेगा जिसमें पांच गेम होगें जैसे स्थापू, सांपसीढी., लूडो, इलेक्शन तम्बोला इत्यादि। चुनाव पाठशाला का प्रारम्भ उस समाज के स्थानीय सांग, पोस्टर, प्रदर्शनी, स्लोगन और उत्प्रेरक संदेश लिखे जायेंगे और पाठशाला में एक ब्लेकबोर्ड होगा जहां चुनाव से सम्बन्धित सकारात्मक विचार / स्लोगन लिखे जायेंगे तथा जिला निर्वाचन शाखा का हेल्पलाईन नम्बर भी लिखा होगा। एक वोटर लाईब्रेरी भी बनाई जायेगी जिसमें ब्रॉशर, मेन्यूल, वोटर गाईड्स, वोट की बाजी गेम किट तथा कुछ पुस्तकें इत्यादि रखी जायेगी। पाठशाला प्रारम्भ करने से 15 मिनट पहने ध्वनि प्रसारण यंत्रो से स्वीपसांग्स बजाये जायेंगे। पाठशाला में गाये जाने वाले गीतों में थीम–पंजीकरण का महत्व, वोटिंग की कीमत तथा मूल्य आधारित चुनाव सहभागिता का समावेश होगा।

4.3.9 चुनाव पाठशाला में प्रत्येक सेसन में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा में चुनाव की महता से सम्बन्धित गीत गाये जायेंगे जिससे नागरिकों को आकर्षित किये जा सके और चुनाव पाठशाला की महता को समझाया जायेगा और एक घण्टे की पूर्व से निर्धारित एक्टीवीटी की जायेगी।

4.3.10 चुनाव पाठशाला में विशेषयोग्यजन (PwDs) को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे और चुनाव पाठशाला का स्थल उनकी पहुंच की सीमा में होना चाहिये।

4.3.11 चुनाव पाठशाला के शुभारम्भ करते समय बी.एल.ओ. द्वारा बैनर बनाये जावें तथा लाउड स्पीकर और स्थानीय नाटक एवं संगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जावें और उनमें यथा सम्भव ई.आर.ओ. द्वारा भाग लिया जावे और पूरे साल की गतिविधियों की जानकारी दी जावे। एक फिल्म शो (मस्ती–दोस्ती और मतदान) का प्रदर्शन किया जावे। श्रोताओं एवं सहभागियों के जिज्ञासाओं का जवाब दिया जावे। चुनाव की पाठशाला के गीत से सम्बन्धित कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जावे। प्रथम दीवार पत्रिका का लेखन किया जावे।

5. **निर्वाचन साक्षरता क्लबों के जिला नोडल अधिकारी** – विभिन्न स्तर पर स्थापित किये जाने वाले साक्षरता क्लबों के जिला नोडल अधिकारी निम्न प्रकार से होंगे –

1.	विद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता के जिला नोडल अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
2.	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता के जिला नोडल अधिकारी	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष
3.	सामुदायिक साक्षरता क्लब स्तर पर निर्वाचन साक्षरता के जिला नोडल अधिकारी	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।
4.	मतदाता जागरूकता क्लब	संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अपने स्तर से कार्यादेश जारी करेंगे।

6. **निर्वाचन साक्षरता क्लबों को प्रारम्भ करना** – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन साक्षरता क्लबों की स्थापना विभिन्न चरणों में करने के निर्देश दिये हैं। आयोग के इस विषय में यह भी निर्देश हैं कि राज्य के विभिन्न जिलों में साक्षरता क्लबों का शुभारम्भ ''चुनाव पाठशाला'' की स्थापना कर किया जाए। आयोग के निर्देश एवं विद्यालय / महाविद्यालय में अवकाश के दिनों को ध्यान में रखते हुए ''निर्वाचन साक्षरता क्लब'' की स्थापना विभिन्न चरणों में की जानी है –

प्रथम चरण	माह जुलाई, 2018 के द्वितीय पखवाड़े में उन तिथियों में जिनमें ''पारस्परिक स्कूल वचनबद्धता'' कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में जिन स्कूलों में ISE आयोजित कर लिए गए हैं तथा जिनमें माह जुलाई, 2018 में किये जायेंगे में साक्षरता क्लब की स्थापना की जानी है।

द्वितीय चरण	माह अगस्त, 2018 के द्वितीय पखवाड़े में।
तृतीय चरण	माह अगस्त में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान।
चतुर्थ चरण	अभियान की विशेष तिथियों पर तुरन्त प्रभाव से।

7. **''निर्वाचन साक्षरता क्लब''** हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षित 8 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स राज्य में उपलब्ध हैं। माह जून, 2018 में इनके द्वारा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जायेगा। DLMTs द्वारा तत्पश्चात् ALMTs को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा ALMTs द्वारा विभिन्न क्लबों के नोडल अधिकारी/कन्वीनर को प्रशिक्षित किया जायेगा।

8. **प्रशिक्षण सामग्री** – प्रशिक्षण सामग्री भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवायी गयी है तथा जिला स्तर पर यह प्रयास किये जावें कि उक्त सामग्री जिला स्तर पर वित्तीय संस्थाओं यथा बैंक, कॉर्पोरेट्स (CSR में से आवंटन करवाकर) एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर तैयार करवायी जाये। विभाग द्वारा भी प्रशिक्षण एवं सामग्री हेतु बजट उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उक्त कार्य करवाया जा सकता है।

9. **मोनिटरिंग** – जिला स्तर पर इस कार्यक्रम की मोनिटरिंग जिले के ''स्वीप के नोडल अधिकारी'' द्वारा की जायेगी। मोनिटरिंग हेतु विभाग स्तर पर विभिन्न प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं जो यथा शीघ्र आपको प्रेषित कर दिए जायेंगे।

10. **डोक्यूमेन्टेशन** – जिले के विभिन्न स्तर पर गठित किए जाने वाले निर्वाचन साक्षरता क्लब द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित अवधि का डोक्यूमेन्ट तैयार किया जाएगा। यह दायित्व जिले के ''स्वीप नोडल अधिकारी'' का होगा।

11. **लक्ष्य** – प्रत्येक जिले में स्थापित किये जाने वाले ELCs के लक्ष्य परिशिष्ट–ए में दिय गये है। आयोग के निर्देशानुसार राज्य में इस वर्ष 2018–19 में कुल लक्षित ELCs में से 30 प्रतिशत में ही ELCs स्थापित किये जाने है। अतः तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

12. **मॉनीटरिंग प्रणाली** – जिला स्तरीय ELCs कमेटी की बैठक आयोजित कर ELCs की नियमित मॉनीटरिंग हेतु सुझाव प्राप्त कर विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद पारीक)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.4(3)(3)SVEEP/Elec/ELC/2018/ 3344 जयपुर, दिनांकः 20/6/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (स्वीप अनुभाग), भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान।
6. निदेशक, क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय, डी.ए.वी.पी., विद्याधर नगर, जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, NCC, राजस्थान, जयपुर।
13. State Liaison Officer, NSS, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स (SLMTs), ELC, राजस्थान।
15. President, Rajasthan State Scouts & Guides Association, Rajasthan, Jaipur
16. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(विनोद पारीक)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट -8

S. No.	Name of Districts	No of Acs	Total Parts		Total PS	Total No. of Secondary/ Sr. Secondary School	Total No. of Govt. College	Total No. of Pvt. College	Total
			Urban	Rural					
1	AJMER	8	621	1299	1920	891	9	34	**2854**
2	ALWAR	11	332	2352	2684	1745	11	92	**4532**
3	BANSWARA	5	67	1283	1350	534	3	47	**1934**
4	BARAN	4	131	903	1034	523	6	12	**1575**
5	BARMER	7	98	2059	2157	805	7	29	**2998**
6	BHARATPUR	7	262	1454	1716	1140	6	74	**2936**
7	BHILWARA	7	300	1610	1910	666	8	18	**2602**
8	BIKANER	7	440	1092	1532	771	6	34	**2343**
9	BUNDI	3	125	770	895	454	3	11	**1363**
10	CHITTORGARH	5	189	1302	1491	525	7	15	**2038**
11	CHURU	6	332	1195	1527	1164	10	64	**2765**
12	DAUSA	5	107	1122	1229	832	8	59	**2128**
13	DHOLPUR	4	126	800	926	484	5	39	**1454**
14	DUNGARPUR	4	54	961	1015	417	4	36	**1472**
15	GANGANAGAR	6	274	1225	1499	924	7	70	**2500**
16	HANUMANGARH	5	197	1034	1231	914	2	96	**2243**
17	JAIPUR	19	2050	2533	4583	3334	11	290	**8218**
18	JAISALMER	2	38	570	608	222	4	2	**836**

19	JALORE	5	82	1245	1327	544	4	27	**1902**
20	JHALAWAR	4	98	1025	1123	452	8	8	**1591**
21	JHUNJHUNU	7	241	1516	1757	1304	5	143	**3209**
22	JODHPUR	10	683	1830	2513	1290	8	51	**3862**
23	KARAULI	4	121	914	1035	541	6	10	**1592**
24	KOTA	6	684	714	1398	847	9	20	**2274**
25	NAGAUR	10	296	2185	2481	1456	9	73	**4019**
26	PALI	6	262	1456	1718	709	7	27	**2461**
27	PRATAPGARH	2	31	540	571	258	3	8	**840**
28	RAJSAMAND	4	88	889	977	378	8	8	**1371**
29	SAWAI MADHOPUR	4	128	825	953	682	5	16	**1656**
30	SIKAR	8	333	1710	2043	1622	9	136	**3810**
31	SIROHI	3	86	624	710	286	5	10	**1011**
32	TONK	4	185	909	1094	596	7	33	**1730**
33	UDAIPUR	8	356	1864	2220	860	9	39	**3128**
	GRAND TOTAL	**200**	**9417**	**41810**	**51227**	**28170**	**219**	**1631**	**81247**